न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 74/2012 **दायर दिनांकः 09/07/2012**

उनवान

1. रामकरण आयु 70 वर्ष पुत्र घांसी जाति चमार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादी

बनाम

1. रामावतार आयु 50 वर्ष पुत्र गंगाबिशन जाति धाकड निवासी खेडली मांजर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाकः 18/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 92ए, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली मांजर तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के साबिक खाता संख्या 62 की ख0नं0 16 की 6 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 47 की 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 60 की 3 बीघा 3 बिस्वा कुल 3 किता का रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा दर्ज खाता चली आ रही थी नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। दौराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये साबिक ख0नं0 16 का रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नवीन ख0नं0 21 की 0.16 है0, ख0नं0 22 की 0.32 है0, ख0नं0 14/246 की 0.20 है0 कुल 0.68 है0 बना कर वादी के खाते दर्ज नही करके सिवायचक खाता राज दर्ज करदी तथा नवीन ख0नं0 20/269 का रकबा 0.10 है0 बनाकर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज करदी। इस प्रकार पुराना रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का नवीन रकबा 1.00 है0 बनाकर वादी के खाते दर्ज करने के बाजाय मूल रकबा में से 0.22 है0 कम बना कर 0.68 है0 तो प्रतिवादी क्रम 2 के सिवायचक खाता राज दर्ज करदी एवं 0.10 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर कुल रकबा

0.78 है0 ही बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से पुराने राजस्व रिकार्ड से छेडछाड़ करते हुये वादी की आराजी 6 बीघा 5 बिस्वा को खाता राज एवं प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से वादी को उसके खाते की आराजी से वंचित होना पड रहा है 0.68 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज कर देने से प्रतिवादीगण वादी को उसके स्वामित्प की आराजी से वंचित करने की गरज से वादी को बेदखल करने पर आमादा है इस आशय की धमकी प्रतिवादीगण ने वादी को दी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। यदि प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल हो गये और वादी के स्वामित्व की आराजी वादी के खाते दर्ज नही करके उसे बेदखल कर दिया गया तो वादी को आराजी में प्राप्त चले आ रहे खातेदारी अधिकारों से बंचित होना पडेगा जिससे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी का खातेदार कृषक घोषित होकर 0.78 है0 वादी के खाते राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा खातेदारी का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। कारण प्रथम बार प्रतिवादी क्रम 2 के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी के खाते की आराजी को कम करते हुये प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने पर तथा वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 से उसके खाते की आराजी को राजस्व रिकार्ड में वादी के खाते दर्ज करने का निवेदन करने व प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा दिनांक 20.06.2012 को मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेंः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी नवीन ख0नं0 21 की 0.16 है0 22 की 0.32 है0 ख0नं0 14/246 की 0.20 है0, ख0नं0 20/269 की 0.10 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को फरमाया जावें।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं नही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी वादी क्रम 1 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है, प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि चरण सं0 1 अस्वीकार है। ग्राम खेडली माजर तहसील अटरू की मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 अनुसार खाता सं0 62 ख0नं0 16 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 47 की 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 60 की 3 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 3 की रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा होना स्वीकार है अन्य तथ्य अस्वीकार है। चरण सं0 2 अस्वीकार है। नवीन सेटलमेन्ट द्वारा मेटिक प्रणाली में अजअसरे नौ सर्वे किया गया है जिसमें नयी पैमाईश मीटर से की गयी है। पहल की पैमाईश गंटरी जरीब से थी एवं अब रकबे का अंतर हो सकता है। साथ ही प्रबंध का रिकार्ड आये हुये अरसा 20 वर्ष हो चुका है। दावा अवधि पार है। भू—प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक आसामी को कच्चा पर्चा एवं पक्का पर्चा दिया गया था लेकिन उस समय वादी द्वारा सुनवायी के अवसर के समय कोई आपत्ति पेश नही की। चरण सं0 4 स्वीकार है। सिवायचक भूमि पर से अतिक्रमी को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमानुसार बेदखल किया जाता है। चरण सं0 5 अस्वीकार है। चरण सं0

6 अस्वीकार है। चरण सं0 7 अस्वीकार है। चरण सं0 8 अस्वीकार है। चरण सं0 9 अस्वीकार है। चरण सं0 10 अस्वीकार है। अन्य तथ्य बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण शेष साश्यवादी बंद किये गये।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि माल खेडली मांजर की खाता सं0 62 कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा खाते दर्ज चली आ रही है।

दौराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी क्रम 2 के कर्मचारीयान ने गफलत एवं लापरवाही पूर्व साबिक ख0नं0 16 का 6 बीघा 5 बिस्वा के नवीन ख0नं0 21 का रकबा 0.16 है0 ख0नं0 22 रकबा 0. 32 है0 ख0नं0 14/246 रकबा 0.20 है0 कुल 0.68 है0 बनाकर वादी के खाते दर्ज नही कर सिवायचक खाता राज कर दी नवीन ख0नं0 20/269 रकबा 0.10 है0 बनाकर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज करदी पुराना रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का नवीन रकबा 1.00 है0 बनाकर वादी के खाते दर्ज करने के बजाय मूल रकबा में से 0.22 है0 कम बनाकर 0.68 है0 तो प्रतिवादी क्रम 2 के सिवायचक खाता राज कर दी एवं 0.10 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर कुल रकबा 0.78 है0 ही बनाया गया है।

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी नवीन ख0नं0 21 की 0.16 है0 ख0नं0 22 की 0.32 है0 14/246 की 0.20 है0 ख0नं0 20/269 रकबा 0.10 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम खेडली मांजर की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 खाता सं0 62 ख0नं0 16 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा ख0नं0 47 का 1 बीघा 1 बिस्वा ख0नं0 60 की 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा रामकरण पुत्र घांसीलाल कोम चमार के खाते चली आ रही थी।

लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारियान द्वारा ख0नं0 16 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नवीन ख0नं0 21 रकबा 0.16 है0 ख0नं0 22 रकबा 0.32 है0 व ख0नं0 14/246 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 2/269 रकबा 0.10 है0 बनाये जाकर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया जिसमें से ख0नं0 269 रकबा 0.10 है0 प्रतिवादी क्रम 1 को आवंटन कर खाते दर्ज कर दी गई, तथा शेष खसरा

नं0 21, 22, 14/246 का कुल रकबा 0.68 है0 सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिस पर वर्तमान में वादीगण कब्जा काश्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खेडली मांजर नवीन ख0नं0 21 रकबा 0.16 है0 ख0नं0 22 रकबा 0.32 है0 ख0नं0 14/246 रकबा 0.20 है0 सिवायचक खाते से कम की जाकर वादी के खाते दर्ज की जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 74/2012

उनवान

1. रामकरण आयु 70 वर्ष पुत्र घांसी जाति चमार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादी

बनाम

1. रामावतार आयु 50 वर्ष पुत्र गंगाबिशन जाति धाकड निवासी खेडली मांजर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडली मांजर नवीन ख0नं0 21 रकबा 0.16 है0 ख0नं0 22 रकबा 0.32 है0 ख0नं0 14/246 रकबा 0.20 है0 सिवायचक खाते से कम की जाकर वादी के खाते दर्ज की जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:10:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: